राजस्व प्रकरण संख्याः–335/2010 दायर तारीख 10.06.2010

1. बालू पिता भंवरलाल जाति मीणा उम्र बालिग निवासी थडोदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
2. राजी बेवा भवंरलाल जाति मीणा उम्र बालिग निवासी थडोदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
3. भंवरलाल पिता माघू जाति मीणा उम्र बालिग निवासी थडोदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
4. मथूरालाल पिता श्रीराम जाति मीणा उम्र बालिग निवासी थडोदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
5. सुगनलाल पिता श्रीराम जाति मीणा उम्र बालिग निवासी थडोदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
6. ओम बाई पुत्री श्रीराम जाति मीणा उम्र बालिग निवासी थडोदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
7. पानीबाई पत्नि श्रीराम जाति मीणा उम्र बालिग निवासी थडोदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
8. तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

..............वादीगण

बनाम

1. छोगा पिता कालू जाति मीणा उम्र बालिग निवासी थडोदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
2. नन्दू पति छोगालाल मीणा उम्र बालिग निवासी थडोदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
3. रामनाथ पिता छोगालाल जाति मीणा उम्र बालिग निवासी थडोदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
4. तहसीलदार साहब बिजौलियां

...........प्रतिवादीगण

उपस्थितः– दिनेशचन्द्र तम्बोली अधि0 वादी
गिरधारीलाल आचार्य अधि0 प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 रा0टि0एक्ट0

:–निर्णयः– दिनांक 15.05.2018

वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादीगण ने एक नियमित राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्व प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम दाता उर्फ छोटा थडोदा मे वादीगण व प्रतिवादीगण के शामलाती खाते व कब्जे काश्त में आ0नं0 277 रकबा 7 बिस्वा, 297 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, 301 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, 302 रकबा 15 बिस्वा, 307 रकबा 1 बींघा 1 बिस्वा, 308 रकबा 18 बिस्वा कुल किता 6 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। विवादग्रस्त भूमि पर वादीगण अपने हक हिस्से की आराजीयात पर बरसो से शान्ति पूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। उक्त भूमि मे वादीगण का 1/2 हक हिस्सा है तथा प्रतिवादीगण 1 से 3 तक का 1/3 हिस्सा है। दिनांक 20.05.2010 को प्रतिवादीगण टेक्टर लेकर मौके पर आये व वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि को जबरन हांकने लगे। वादीगण ने मना किया तो लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये। प्रतिवादीगण ने वादीगण के गाडी गडार के रास्ते पर पत्थरो के जोटे डाल दिये रास्ता बंद कर दिया। प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर रहे है रोक टोक कर रहे है। प्रतिवादीगण को जरिये

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा

आमादा है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से नही रोका गया तो वादीगण को असहनीय क्षती होगी जिसकी पूर्ति अर्थ में सम्भव नही है। वादग्रस्त भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा है एंव प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा है प्रतिवादीगण हक नियती से कुलिया भूमि अपने नाम पर दर्ज कराना चाहता है व मौके पर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। वादी भंवरलाल के पिता का नाम माधू है किन्तु सेवन सें राजस्व अभिलेखो में भवरलाल के पिता का नाम श्रीराम दर्ज कर दिया जो गलत है। वाद हेतु दिनांक 20.05.2010 से उत्पन्न होकर सतत् रुप से जारी है। वादीगण ने अनुतोष चाहा है कि ग्राम दाता उर्फ छोटा थडोदा में स्थित आ0नं0 277, 297, 301, 302, 307, 308 कित 6 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा भूमि में वादीगण के 1/2 हक हिस्से की भूमि पर प्रतिवादीगण कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करे, रोक टोक नही करे, वादीगण को जबरन बेदखल नही करे, इस आश्य की सथाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरुद्व प्रतिवादीगण प्रदान की जावे। वादी भंवरलाल के पिता का नाम माधु राजस्व अभिलेखो में दर्ज किया जाने की डिक्री बहक वादीगण विरुद्व प्रतिवादीगण पदान की जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवाई गई।

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता गिरधारीलाल आचार्य ने उपस्थित होकर जबावदावा प्रस्तुत किया।

जवाबदावे में प्रतिवादी ने अंकित किया कि ग्राम थडोदा मे स्थित होना स्वीकार है किन्तु जहा तक भूमि पर काबिज हो शामलाती रुप से काश्त करने का प्रशन है वह विवादग्रस्त है वादीगण/ प्रार्थीगण संयुक्त रुप से काश्त नही करते है। कुलीया भूमि मे वादीगण प्रार्थीगण का कितना हिस्सा है वह स्पष्ट नही है। वादीगण ने उनका 1/2 हिस्सा किस प्रकार बनता है उसका सजरा बनाकर विरण अंकित नही किया है। जमाबंदी के अनुसार वादीगण बालू व राजी का कूल 1/4 हिस्से मे भंवरलाल गोपाल रामकिशन जगनाथ प्यारी ऐजन चांदी पिता मोहनलाल व गोरी बेवा मोहनलाल का हिस्सा है। इसी प्रकार वादीगण मथूरालाल सुगनलाल ओम बाई पानी बाई मीणा के साथ भंवरलाल भवानीलाल मीणा का 3/4 वा हिस्सा है। जिस प्रकार से वर्तमान जमाबंदी में हिस्से दर्ज है उसके अवलोकन से स्थिति भिन्न है क्योकि 1/2 हिस्से के हिस्सेदार देबीलाल पूत्र कजोड का 1/2 हिस्सा व 1/4 हिस्सा छोगा पुत्र कालू एंव भेरु पुत्र नाराण का 1/4 हिस्सा है शेष 1/4 हिस्से में वादीगण के अतिरिक्त शेष खातेदार है इसलीये वादीगण का 1/2 हिस्सा किसी भी स्थिति में नही बनता है। देबीलाल पुत्र कजोड मीणा का जो 1/2 हिस्सा है वह प्रतिवादी नं0 दो ने क्रय कर रखा व भेरु पूत्र नाराण जी मीणा का 1/8 वा हिस्सा प्रतिवादी नं0 3 नन्दू पत्नि छोगा मीणा ने क्रय किया हुआ है इसप्रकार 3/4 हिस्से पर कब्जा प्रतिवादीगण क्रमांक 1 से 3 तक का है वादीगण के प्रकरण के अभिचन अस्पष्ट एंव राजस्व अभिलेखो के विपरीत है। जब वादग्रस्त जायदाद में प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा ही नही बनता है तो उनका इसपर काबिज होना बताना और दिनांक 20.05. 2010 को प्रतिवादीगण क्रमांक 1 से 3 के द्वारा किसी प्रकार के हिस्से को लेकर विवाद करने का प्रशन ही पेदा नही होता जहा तक रास्ते के विवाद का प्रश्न है वह इस न्यायालय के समस्त योग्य क्षैत्राधिकार का मामला नही है। जब तक भूमि का विधिवत विभाजन नही हो जाता कोई एक सह काश्तकार हिस्सा विशेष पर अपना कब्जा होना कहकर दुसरे सह काश्तकार के विरुद्व किसी प्रकार की कोई निषेधाज्ञा प्राप्ति नही कर सकता वादीगण ने अनुतोष में धारा 53 में रा0का0अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत कर अनुतोष का विवरण करते हुये डिक्री नही चाहीये एंव न ही वादीगण ने अपने को किसी हिस्सा विशेष का खातेदार काश्तकार घोषित करने की मांग प्रकरण में अनुतोष दर्ज कर मांग की है। इसलिये वादीगण का अस्पष्ट प्रकरण डिक्री योग्य नही है। अतः वादपत्र वादी खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा

2034, प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम थडोदा 2036 से 39, प्रतिलिपि [illegible]
जमाबंदी 2045 से 48, जमाबंदी ग्राम थडोदा 2049 से 52, जमाबंदी ग्राम थडोदा 2053 से 54, प्रस्तुत किये है।

वादपत्र व प्रतिवाद पत्र के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई।

1. आया कि वादग्रस्त भूमि किता 6 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा भूमि ग्राम दाता उर्फ छोटा थडोदा में स्थित है इसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा है। ....जिम्मे वादीगण
2. आया कि प्रतिवादीगण का 3/4 हिस्सा है। ....जिम्मे प्रतिवादीगण
3. आया कि धारा 188 रा0टि0एक्ट0 के तहत वादपत्र कानूनन चलने योग्य नही है। ....जिम्मे प्रतिवादीगण

शहादत वादी में पी0डब्ल्यू I बालू पिता भवंरलाल मीणा निवासी छोटा थडोदा को प्रस्तुत कर बयान करवाये गये।

शहादत प्रतिवादी में डी0डब्ल्यू I छोगा, डी0डब्ल्यू II रामनाथ, डी0डब्ल्यू III रमेश पुरी को प्रस्तुत कर बयाने करवाये गये।

प्रकरण में अधिवक्ता वादी ने मौखिक बहस करते हुये वादपत्र में अंकित तथ्यो का विस्तार से जिक्र करते हुये जमाबंदी 2057 से 2060 मे भवरलाल, भवानीलाल, श्रीराम पिता माधू दर्ज है। जरिये नामान्तरकरण दिनांक 20.05.2002 द्वारा विरासत से श्रीराम पिता माधु के बजाय मथूरालाल, सुगनलाल, ओम बाई, पिता श्रीराम, पानी बाई बैवा श्रीराम दर्ज हुआ है। जमाबंदी सम्वत् 2061 से 64 मे भवरलाल, भवानीलाल के पिता का नाम श्रीराम कर दिया गया जबकि भवरलाल, भवानीलाल का नाम माधू होना चाहीये।

वकील प्रतिवादी ने लिखित बहस कर बहस में अंकित किया कि ग्राम थडोदा स्थित 8 बीघा 9 बिस्वा भूमि के संबंध में अनुतोष मांगते हुये वादी द्वारा वाद पेश किया कि वादीगण को उनके 1/2 हिस्से पर काश्त करने से प्रतिवादीगण नही रोके इस बाबत स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। साथ ही यह भी अनुतोष मांगा कि उनके पिता भवरलाल के स्थान पर माधू दर्ज किये जाने की डिक्री प्रदान करे। जिन ख0नं0 में विवाद है उसके संबंध में हिस्सा परिवर्तन कर कम ज्यादा करने का कोई अनुतोष नही मांगा गया है। वादीगण का किस प्रकार वादग्रस्त जायदाद में 1/2 हिस्सा कि स्थाई निषेधाज्ञा वादी मांग रहे है। वर्तमान जमाबंदी में देबीलाल पिता कजोड नाबालिग माता रुपी का 1/2 हिस्सा एंव छोगा पिता कालू, भेरु पिता नाराण का 1/4 हिस्सा दर्ज है। शेष 1/4 हिस्सा ही बचता है। इसलिये उससे अधिक हिस्से की स्थाई निषेधाज्ञा वादी मांग नही कर सकता। वादीगण ने अपने वादपत्र में पक्षकार बनाया है उसका तो वादग्रस्त जायदाद में 1/8 वॉ हिस्सा ही है क्योकि 1/4 हिस्से में उसका भेरु पिता नारायण का 1/8 है। जिस देबीलाल पिता कजोड का 1/2 हिस्सा है उसे पक्षकार ही नही बनाया गया है। प्रतिवादी नं01 छोगा पिता कालू मीणा 1/4 हिस्से में 1/8 हिस्सा का खातेदार है शेष प्रतिवादीगण कमांक 2 व 3 प्रतिवादी नं0 1 के पुत्र व पत्नि है प्रतिवादी नं0 1 तो 1/8 वे हिस्से पर ही काश्त कर रहा है। इसलिये प्रतिवादी कमांक 1 से 3 के विरुद्व 1/2 हिस्से की स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना कानून सम्मत नही है। वर्तमान चालू रिकार्ड से वादीगण 1/2 हिस्से के खातेदार नही है। अतः वादपत्र वादी खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

तनकी नं0 1

आया कि वादग्रस्त भूमि किता 6 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा भूमि ग्राम दाता उर्फ छोटा थडोदा में स्थित है इसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा है। ....जिम्मे वादीगण

इस तनकी को सिद्व कराने का भार वादी पर है वादीगण का हिस्सा 1/2 नही बनता है उनका हिस्सा 1/2 किस प्रकार बनता है दस्तावेजी/मौखिक साक्ष्य से प्रदर्श नही कराया गया। अतः तनकी सं0 1 वादीगण के विरुद्व तय की की जाती है।

तनकी नं0 2

आया कि प्रतिवादीगण का 3/4 हिस्सा है। ....जिम्मे प्रतिवादीगण

इस तनकी को सिद्व कराने का भार प्रतिवादी पर है प्रतिवादीगण का हिस्सा 1/4 नही बनता है प्रतिवादीगण दस्तावेजी साक्ष्य से यह सिद्व नही कर पाये कि उनका हिस्सा किस प्रकार 3/4 बनता है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के विरुद्व निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 3

आया कि धारा 188 रा0टि0एक्ट0 के तहत वादपत्र कानूनन चलने योग्य नही है। ....जिम्मे प्रतिवादीगण

इस तनकी को सिद्व कराने का भार प्रतिवादी पर है जब वादीगण का हिस्सा ही स्पष्ट नही है तो वे किस प्रकार धारा 188 के तहत अनुतोष प्राप्त कर सकते है। संयुक्त खाते मे सभी खातेदारो का समस्त भूमि पर संयुक्त कब्जा माना जाता है। इस संबंध में प्रतिवादी की और से लिखित बहस मे RBJ 2004 पेज 207 व RRW 2 W 5(2) पेज 147 का उल्लेख किया है। अतः यह तनकी वादीगण के विरुद्व निर्णित की जाती है।

अतः वादपत्र आंशिक रुप से स्वीकार किया जाता है ग्राम थडोदा की आ0नं0 आ0नं0 227, 297, 301, 302, 307, 308 किता 6 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा भूमि जमाबंदी में वादी एंव प्रतिवादी के हिस्से स्पष्ट व सही नही होने के कारण प्रतिवादीगण को धारा 188 के तहत पाबन्द नही किया जा सकता। परन्तु भंवरलाल के पिता का नाम श्रीराम के बजाय माधु किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 88–188 रा0टि0एक्ट आंशिक रुप से स्वीकार किया जाता है। डिक्री मुर्तिब हो।

आदेश आज दिनांक 15.05.2018 को मुकाम थडोदा पर लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। 15/05/18

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया
(केम्प थडोदा)